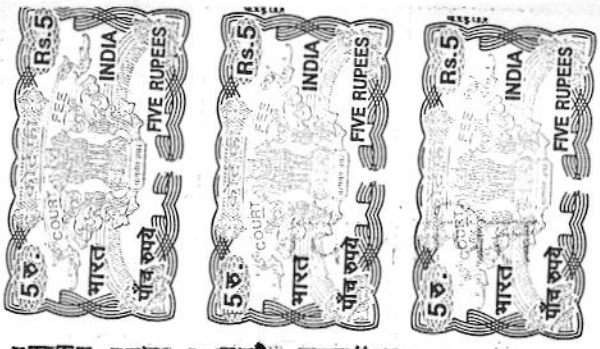

(77)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   /२०१५ निगरानी निगरानी 529-II-15

गुरुशरण पुत्र अशोक निवासी ग्राम पण्डोखर, तहसील-भाण्डेर, जिला दतिया -मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थी

विरुध्द

मैथिलीशरण राजपूत पुत्र गोरीराम राजपूत, निवासी ग्राम पण्डोखर, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया-मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुध्द आदेश नायब तहसीलदार महोदय भाण्डेर, जिला दतिया दिनांक २३-१-१५ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९।प्र०क्र० १।अ-६८।१४-१५ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय व्दारा पारित विवादित आदेश एवंम् की जा रही कार्यवाही कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, प्रकरण में विधिवत जांच नहीं हुई है ।

३- यह कि, प्रकरण में धारा २४८ भू-राजस्व संहिता के आधीन कार्यवाही की जा रही है जबकि मध्यप्रदेश शासन को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में आवश्यक पक्षकार का दोष होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया ही निरस्ती योग्य है ।

४- यह कि, प्रकरण में पारित आदेश एक साईक्लोस्टाईल फार्म पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पारित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने न तो अपने न्यायिक विवेक का

क्रमशः :---२

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी/529–एक/15 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
24.12.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस पी धाकड उपस्थित अनावेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा नायब तहसीलदार के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में ग्राह्य योग्य नहीं होने से अमान्य की जाती है। प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/02/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/2/19 **कलेक्टर जिला दतिया**	